

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019-आश्विन 5, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पांच-(65).- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पांच (53) दिनांक 29 जून, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में के पैरा 2 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा,

“परंतु अप्रैल 2019 से जून, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 31 जुलाई, 2019 होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-पांच (65), दिनांक 27 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

No. F-A-3-26-2019-1-V (65).-

Bhopal, the 27th September 2019

In exercise of the powers conferred by section 148 of the the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this departments notification No. F A-3-26-2019-1-V (53) dated the 29th June, 2019, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the due date for furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in said FORM GST CMP-08, for the quarter April, 2019 to June, 2019, or part thereof, shall be the 31st day of July, 2019.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-1-पाँच (66).-

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-26-2019-1-पाँच (53) दिनांक 29 जून, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, परंतुक में "31 जुलाई, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-पाँच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2019-पाँच (66), दिनांक 27 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

No. F-A-3-26-2019-1-V (66)

Bhopal, the 27th September 2019

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this departments notification No. F A-3-26-2019-1-V-(53) dated the 29th June, 2019, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, in the proviso, for the figures, letters and words "31st day of July, 2019", the figures, letters and word, "31st day of August, 2019" shall be substituted.

2. This notification shall deemed to have come into effect from dated 29th July, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-1-पाँच (67).-

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3/33/2017/1/पाँच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I - 2.5% में,

(I) क्रम संख्या 234 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"234 ख	8504	विद्युत चालित वाहन के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन";
--------	------	---

(II) क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"242 क	87	विद्युत चालित वाहन, जिसमें दो और तीन पहिया वाले विद्युत मोटर वाहन भी आते हैं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है। इन विद्युत चालित वाहनो में ई-साइकिल भी शामिल होंगे।";
--------	----	---

(ख) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 375 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "इन्डक्टर्स" के पश्चात "विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन से भिन्न" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-पांच.-

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33/2017/पांच (67), दिनांक 27/09/2019, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

No. F-A-3-33-2017-1-V (67)

Bhopal, the 27th September 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this departments notification No. F A3-33-2017-1-V-(42) dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I - 2.5%,

(i) after ~~serial number~~ 234A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"234B	8504	Charger or charging station for Electrically operated vehicles";
-------	------	--

(ii) after ~~serial number~~ 242 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“242A	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. <i>Explanation</i> : For the purposes of this entry, “Electrically operated vehicles” means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E- bicycles.”;
-------	----	---

- (b) in Schedule II - 6%, ~~serial number~~ 206 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) in Schedule III - 9%, against ~~serial number~~ 375, in the entry in column (3), after the words “inductors”, the words “, other than charger or charging station for Electrically operated vehicles” shall be inserted.

This notification shall deemed to have come into effect from 1st August, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

क्रमांक एफ-ए-3-42-2017-1-पाँच (68).-

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-42/2017/1/पाँच (53) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
(कक) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आते हैं, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है।”;

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-ए-3-42-2017-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-42-2017-पांच (68), दिनांक 27 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

No. F-A-3-42-2017-1-V (68)

Bhopal, the 27th September 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this departments notification No. F A-3-42/2017/1/V(53) dated the 30th June, 2017, namely:--

In the said notification, in the Table, against serial number 22, in the entries in column (3), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

(3)
(aa) to a local authority, an electrically operated vehicle meant to carry more than twelve passengers; or <i>Explanation:</i> For the purposes of this entry, "Electrically operated vehicles" means vehicles falling under Chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which is run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles.

2. This notification shall deemed to have come into effect from the 1st of August, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.